न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 31/2026 बउनवानी लेखराज **बनाम** अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड मदनगढ किशनगढ अजमेंर

GCMS No-2026/32

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
25.3.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 31.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **प्रार्थी द्वारा नवम्बर,2025 को अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहॉं दिये गये परिवाद पर कार्यवाही नही किये जाने के कारण सहित तीन बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना प्रति।** "अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक कोर्ट/2026/1864 दिनांक 23.3.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2025 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। कथन के समर्थन में रिट पिटीशन संख्या 413/2007 गोवा स्थित बम्बई उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 3.4.2008 मे यह स्पष्ट किया है कि सूचना परिभाषा अपने दायरे मे प्रश्नो के उत्तर सम्मलित नही कर सकती है। जिनका अर्थ किसी मामले विशेष के औचित्य के बारे मे पूछने जैसा ही होगा। वांछित सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 मे देय योग्य नही है। इसलिए अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 31.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना (प्रार्थी द्वारा नवम्बर,2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी) उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का सूचना का आवेदन पत्र अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक/कोर्ट/2026/1861–62 दिनांक 23.3.2026 से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी एवं उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर को अधिनियम की तय समय सीमा के उपरान्त अन्तरित किया गया है,जिससे प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी , सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रावधानों के प्रति गम्भीर नही है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे एवं आवेदको द्वारा चाही जाने वाली सूचनाऐं उपलब्ध करवाये जाने का प्रयास किया जावे। साथ ही अपीलान्ट को भी निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना अति0 पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के कार्यालय से प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	